

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 36/2024
दायर दिनांक : 08.05.2024
निर्णय दिनांक : 19.06.2024

1. दयाराम पुत्र बिरदा जाति बलाई, निवासी बरखेडा तहसील दौसा जिला दौसा
2. हरिकिशन पुत्र बिरदा जाति बलाई, निवासी बरखेडा तहसील दौसा जिला दौसा
3. हरिराम पुत्र बिरदा जाति बलाई, निवासी बरखेडा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बरखेडा आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 1.22 है. स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार हैं तथा प्रत्येक का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 को विधिवत रूप से आवेदन कर करा लिया जिसका मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.06.2023 को बनाई गयी थी। प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने के बावजूद भी पडौसी काश्तकार आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते हैं इसलिए प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजीयात की वास्तविक पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करवाकर भूमि के चारों तरफ पत्थर गाढकर निशानात कायम करवाना चाहता है ताकि सीमा संबंधी कोई विवाद न हो। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि ग्राम बरखेडा तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 1.22 है. भूमि की राजस्व कर्मचारियों की टीम घटित कर पुलिस सहायता से वास्तविक पैमाइश कर पत्थरगढी करे व भूमि के चारों तरफ पत्थर गाढकर निशानात कायम करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बरखेडा तहसील दौसा के खसरा नम्बर 186 रकबा 1.22 है. दयाराम पुत्र बिरदा हि. 1/3, हरिकिशन पुत्र बिरदा हि. 1/3, हरिराम पुत्र बिरदा हि. 1/3 जाति बलाई सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर मुताबिक रिकॉर्ड किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्व में राजस्व दल द्वारा प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी

पर वर्तमान में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित होगा। चूंकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम बरखेडा तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 1.22 है. का अनुभवी पटवारियों/ भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाबते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)